

न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-1052 / 2012

संस्थित दिनांक-21.12.2012

फाईलिंग क.234503001522012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियोजन

// विरुद्ध //

आशीष परिहार पिता कमलसिंह, उम्र-34 वर्ष,
 निवासी-वार्ड नंबर-8, बैहर रोड, थाना गढ़ी,
 तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक-21/08/2017 को घोषित)

01. अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324, 506 भाग-2 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-09.12.2012 को रात्रि करीब 9:30 बजे बस स्टैंड इतवारी पत्रकार की दुकान के सामने थाना बैहर अंतर्गत लोकस्थान पर फरियादी विजय को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, फरियादी को लकड़ी से धारदार वस्तु की तरह प्रयोग करते हुए मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित कर, संत्रास कारित करने के आशय से फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी विजय कदम ने दिनांक-10.12.2012 को पुलिस थाना बैहर में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि दिनांक-09.12.2012 को 9:30 बजे, बस स्टैंड बैहर में इतवारी पत्रकार की दुकान के सामने फल्ली बेचने वाले पान ठेला से फल्ली लेकर खा रहा था। वहीं पास में खड़ा आशीष परिहार फरियादी से बोला था कि वह उसे घूर कर क्यों देख रहा है। इसी बात को लेकर आशीष परिहार फरियादी को माँ-बहन की अश्लील गालियां देकर मोची की दुकान के सामने से लकड़ी निकालकर मारपीट करने लगा था, जिससे फरियादी के बाएँ हाथ की कोहनी एवं कलाई में चोट लगी थी। घटना के समय धरम मरकाम, नशीब खान एवं अन्य लोगों ने बीच-बचाव किया

था। पुलिस ने फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराकर फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक-187/2012 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

03. अभियुक्त पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा-01 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाए गए थे तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

04. अभियुक्त का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया है।

05. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-09.12.12 को रात्रि करीब 9:30 बजे बस स्टेंड इतवारी पत्रकार की दुकान के सामने थाना बैहर अंतर्गत लोकस्थान पर फरियादी विजय को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया था ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी विजय को लकड़ी को धारदार वस्तु की तरह प्रयोग करते हुए मारपीट कर स्वेच्छ्या उपहति कारित की थी ?
3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर संत्रास कारित करने के आशय से फरियादी विजय को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

06. साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस कारण सभी विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

07. विजय अ.सा.1 का कहना है कि वह अभियुक्त को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से 01 वर्ष पूर्व की रात्रि के लगभग 09:00 बजे की बैहर बस स्टेंड की है जब वह बैहर बस स्टेंड में खड़ा था। तब अभियुक्त ने उससे कहा था कि घूर क्यों रहा है। फिर अभियुक्त ने अचानक उसके हाथ में रखी लकड़ी से फरियादी के साथ मारपीट की थी जिससे फरियादी को बायें हाथ पर चोट लगी थी। साक्षी ने घटना की रिपोर्ट थाना बैहर में की थी जो प्र.पी.01 है। साक्षी का ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था। साक्षी ने पुलिस को

घटनास्थल बता दिया था। घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.02 हैं। पुलिस ने साक्षी के कथन लिये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी।

08. कमलेश अ.सा.02 का कथन है कि उसे फरियादी ने घटना के बाद मिलने पर बताया था कि उसका अभियुक्त आशीष से झगडा हो गया था जिससे उसे हाथ में चोट आयी थी। साक्षी घटना के दूसरे दिन फरियादी के साथ घटना की रिपोर्ट करने थाना बैहर गया था। पुलिसवालों ने साक्षी के पूछताछ कर बयान लिये थे।

09. धरम मरकाम अ.सा.03, मो0 नसीम खान अ.सा.08 का कहना है कि उन्हे घटना की जानकारी नहीं है। पुलिस ने उनके बयान नहीं लिये थे। दोनो साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर दोनो साक्षियों ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है।

10. पवन सोनी अ.सा.04 का कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन कथनों से एक-ढेड़ वर्ष पूर्व की है उसे पता चला था कि फरियादी एवं अभियुक्त का विवाद हुआ था। साक्षी ने किसी को चोट आते नहीं देखी थी। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह रात्रि करीब 09:30 बजे नितिन जैन की लॉज के सामने खड़ा था। ईतवारी पत्रकार की दुकान के सामने अभियुक्त का विवाद हुआ था। साक्षी घटना को दूर से देख रहा था। साक्षी ने सुझाव में इस बात से इंकार किया है अभियुक्त ने मोची की दुकान की लकड़ी निकालकर फरियादी के साथ मारपीट की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि वह जिस स्थान पर खड़ा था वहां से यह दिखायी नहीं दे रहा था कि किन व्यक्तियों के बीच झगडा हो रहा था। पुलिस ने साक्षी के कथन नहीं लिये थे।

11. नसीम खान अ.सा.05 का कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन कथनों से एक वर्ष पूर्व की रात्रि 08-09 बजे की बस स्टेण्ड बैहर की है। घटना दिनांक को वह बालाघाट से आया था। तब अभियुक्त आशीष एवं विजय का झगडा हुआ था साक्षी ने किसी को मारते-पीटते हुए नहीं देखा था। घटना के दूसरे दिन पुलिस आयी थी। साक्षी के पुलिस ने घटना के संबंध में दुकान पर आकर बयान लिये थे। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी की साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन होता हो।

12. एन.एस.कुमरे अ.सा.07 का कहना है कि वह दिनांक 10.12.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को थाना बैहर से आरक्षक अनिल क 387 आहत विजय को मेडिकल परीक्षण के लिए लेकर आया था। साक्षी ने मेडिकल परीक्षण में आहत के निम्न उपहृतियां पायीं थीं—चोट क्र01 इंसाईज्ड वुड जो कि दो से ज्यादा थीं एवं एक रेखा में ढाई गुणा एक चौथाई सूखा हुआ रक्त जमा था जो एक दूसरे के समानांतर थे। उक्त चोट बाये हाथ में अंदर की तरफ होना पाई थीं। मध्य वाली चोट में टांके लगाये गये थे। आहत को चोट कड़ी एवं धारदार वस्तु से पहुंचाई गयी थी जो मेडिकल परीक्षण के समय से 20 घण्टे के अंदर की होकर साधारण प्रकृति की थी। चिकित्सक की परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.06 है। प्रतिपरीक्षण में चिकित्सक ने सुझाव में इस बात से इंकार किया है कि आहत के चेहरे में पहले से गिरने के चोट के निशान बने थे। चिकित्सक ने इस बात से इंकार किया है यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर कड़ी वस्तु पर गिर जाये तो ऐसी चोट आना संभव है। चिकित्सक ने इस बात से भी इंकार किया है कि यदि कोई व्यक्ति अधिक शराब पीकर गिर जाये तो ऐसी चोट आना संभव है। चिकित्सक ने यह स्वीकार किया है कि आहत को आयी चोट धारदार वस्तु से आना संभव थी। बोथरी धारदार वस्तु से आना संभव नहीं थी।

13. जी.एल.बाघाडे प्रधान आरक्षक अ.सा.06 का कहना है कि फरियादी की मौखिक रिपोर्ट पर से उपनिरीक्षक के.एल.यादव द्वारा अपराध क्रमांक 187 / 12 प्र. पी.01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त के विरुद्ध लेखबद्ध की गयी थी। इस साक्षी ने उपनिरीक्षक के.एल.यादव के साथ कार्य के किया है इस कारण यह साक्षी के.एल.यादव के हस्ताक्षर को पहचानता है। प्र.पी.01 की रिपोर्ट के बी से बी भाग पर के.एल.यादव के हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी के लिए प्रकरण की डायरी अनुसंधान के लिए प्राप्त होने पर इस साक्षी ने दिनांक 10.12.2012 को फरियादी विजय की निशानदेही पर नजरीनक्शा प्र.पी.02 बनाया था। साक्षी ने फरियादी विजय साक्षीगण कमलेश, धरम, पवन, नसीम, नसीब एवं रमेश के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे एवं अभियुक्त को साक्षीगण के समक्ष प्र.पी.05 के गिरफ्तारी पंचनामा द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त से प्र.पी.04 के जप्ती पंचनामा अनुसार एक लकड़ी जप्त की थी। इस साक्षी ने उसके अनुसंधान के अनुरूप उक्त साक्ष्य दी है।

14. प्रकरण में फरियादी विजय को अश्लील शब्द उच्चारित किये जाने का प्रश्न है इस संबंध में विजय अ.सा.01 एवं प्रकरण के अन्य स्वतंत्र साक्षीगण ने

उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त कौन से अश्लील शब्द बोल रहा था। इस कारण यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं सुनने वालों को क्षोभ कारित किया था।

15. प्रकरण में फरियादी विजय अ.सा.01 को मारपीट किये जाने का प्रश्न है इस संबंध में विजय ने उसकी साक्ष्य में यह बताया है कि अभियुक्त ने उसके साथ हाथ व लकड़ी से मारपीट की थी। जिससे उसके बाये हाथ में चोट लगी थी। कमलेश अ.सा.02 घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। कमलेश को फरियादी घटना के दूसरे दिन जब मिला था तब फरियादी ने कमलेश को बताया था कि अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट की थी। जिससे उसके हाथ में चोट लगी थी। प्रकरण में अन्य किसी स्वतंत्र साक्षीगण ने विजय की उपहति का समर्थन नहीं किया है। विजय के साथ हुई मारपीट से संबंधित प्र.पी.01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की पुष्टि विजय की साक्ष्य से होती है एवं विजय के हाथ की उपहति का समर्थन चिकित्सक की साक्ष्य एवं उनके द्वारा दिये गये प्र.पी.06 के मेडिकल प्रतिवेदन से होता है। चिकित्सक की साक्ष्य के अनुसार विजय की उपहति कड़ी एवं धारदार वस्तु से आयी थी। इस कारण विजय की साक्ष्य से यह प्रमाणित माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर लकड़ी को धारदार वस्तु की तरह प्रयोग कर फरियादी के साथ लकड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की थी।

16. विजय अ.सा.01, कमलेश अ.सा.02 एवं प्रकरण के अन्य स्वतंत्र साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ने फरियादी विजय को जान से मारने की धमकी दी थी। इस कारण विजय अ.सा.01 एवं अन्य स्वतंत्र साक्षीगण की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी विजय को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया था।

17. प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-2 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण की विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 का आरोप प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324

के आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है।

18. अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट म.प्र.

// दण्डाज्ञा //

19. अभियुक्त को आपराधी परीक्षा अधिनियम की धारा-4 के उपबंधों का लाभ दिये जाने पर विचार किया गया। अभिलेख पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। किन्तु अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को उक्त उपबंधों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रकट नहीं होता है।

20. दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के अधिवक्ता श्री मो० शमीम को सुना गया। अभियुक्त के अधिवक्ता का कहना है कि अभियुक्त के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया जावे। अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के आरोप में न्यायालय उठने तक के कारावास से एवं 500/- (पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर अभियुक्त को 15 दिन का साधारण कारावास भुगताये जावे। फरियादी के साथ अभियुक्त ने चाकू या छुरी से मारपीट कर उपहति कारित नहीं की थी इस कारण अभियुक्त को कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जाकर न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया है।

21. अभियुक्त का धारा-428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

22. प्रकरण में अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जावें।

23. प्रकरण में जप्तशुदा एक लकड़ी ढाई फीट लम्बी अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे एवं अपील होने की दशा में मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट